न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / 05 / 2018

नगर परिषद(नगर निगम)भरतपुर जरिए प्रभारी अधिकारी मुकदमा

....अपीलान्ट

बनाम

1—अमरनाथ पुत्र बाबूलाल जाति माली निवासी सूरजपोल गेट भरतपुर
2—राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार भरतपुर (राज0)

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरुद्व आदेश नामान्तकरण संख्या 1449 दिनांक 7.3.2018 बाबत आराजी खसरा नम्बरान 336 / 0.08, 337 / 0.01, 339 / 0.22 बाके कस्वा भरतपुर चक नम्बर—3 तहसील भरतपुर ।

———

उपस्थितः—
1—श्री उदयवीर कसाना अभिभाषक अपीलान्ट
2—श्री पंकज कुमार अभिभाषक रेस्पो—1

आदेश दिनांक 17.04.2018

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्व रेस्पो. व खिलाफ आदेश तहसीलदार भरतपुर दिनांक 7.3.2018 बाबत नामान्तकरण संख्या 1449 बाके कस्वा भरतपुर चक नम्बर—3 तहसील भरतपुर के पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में नामान्तकरण संख्या 1449 रेस्पो अमरनाथ पुत्र बाबूलाल जाति माली निवासी सूरजपोल गेट भरतपुर के हक में खातेदार दर्ज कर स्वीकार किया गया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी की गई। उभय पक्ष की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित आये। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस लिखित या मौखिक रुप से नहीं दिया गया है। विवादित आराजी पर अपीलान्ट रिकार्डेड खातेदार व काबिज आराजी है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का यह भी कहना है कि जिस निर्णय / डिक्री के आधार पर

.....2

नामान्तकरण तस्दीक किया है उस निर्णय व डिक्री में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जबकि दायरी दावा से पूर्व विवादित आराजी नम्बरान का एक मात्र मालिक (खातेदार) अपीलान्ट काबिज है। योग्य अभिभाषक ने बताया कि नामान्तकरण चाहे किसी किसी भी तरीके से खोला गया हो, नामान्तकरण के खिलाफ अपील का प्रावधान एलआरएक्ट में दिया गया है। रेस्पो ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को गुमराह करते हुऐ रेस्पो ने आपस में साज करते हुये डिक्री हासिल की गई है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत शून्य है। विवादित आराजी सीएफसीडी पानी में डूबी हुयी जमीन की खातेदारी व्यक्ति विशेष को नही दी जासकती है। दावा दायरी पूर्व उक्त जमीन पर नगर निगम खातेदार काबिज थी लेकिन रेस्पो ने आपस में साज करके नगर निगम को पक्षकार बनाये बिना गलत तथ्यों के आधार पर दावा डिक्री करा लिया है रिकाडेड खातेदार को नोटिस दिये बिना नामान्तकरण की कार्यवाही शून्य है अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक रेस्पो ने अपने तर्को में जाहिर किया कि अपीलान्ट ने नामान्तकरण संख्या 1449 के विरुद्व अपील प्रस्तुत की गई है, उनका कहना है कि अपीलाधीन नामान्तकरण न्यायालय एस.डी.ओ.भरतपुर के निणर्य डिक्री दिनांक 28.8.2015 एवं राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 11.10.2007 की पालना में खोला जाकर स्वीकार किया गया है। जिसमें तहसीलदार भरतपुर ने कोई गलती नहीं की है। योग्य अभिभाषक रेस्पो का यह भी कहना है कि वर्तमान में आयुक्त नगर निगम जो तत्कालीन पीठासीन अधिकारी एस.डी.ओ. भरतपुर के पद पर कार्यरत थे उनके द्वारा ही यह दावा दिनांक 28.8.2015 को निर्णय डिक्री किया गया है। आज ये ही आयुक्त नगर निगम तत्समय पारित अपने निर्णय डिक्री को गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि निर्णय/डिक्री के आधार पर नामान्तकरण दर्ज कर स्वीकार करने में तहसीलदार भरतपुर ने कोई त्रुटि नहीं की है। श्रीमान न्यायालय को भी यही देखना है कि क्या तहसीलदार ने एस.डी.ओ.भरतपुर एवं राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निर्णय/डिग्री पालना में को कोई त्रुटि तो नहीं की है। उनका यह भी कहना है कि अगर अपीलान्ट को निर्णय डिक्री पर कोई आपत्ति है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में जाना चाहिये था। निर्णय/डिग्री में सीएफसीडी का कोई हवाला नहीं है। नामान्तकरण में सीएफसीडी का हवाला दिया जा रहा है। अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या

.....3

1449 दिनांक 7.3.2018 का अवलोकन किया गया। विवादित नामान्तकरण में नोट अंकित है –".....मुताविक न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी भरतपुर राजस्व दावा सं 12/2012 निर्णय दिन0 28.8.15 की पालना एवं श्रीमान के आदेश कमांक/एलआर/17/4990दिनांक 27.11.17 की अनुपालना में नामान्तकरण दर्ज

कर वास्ते जॉच सेवा में पेश है....।" नामान्तकरण में दर्ज उक्त नोट से स्पष्ट है कि विवादित नामान्तकरण उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय/ डिक्री की पालना में दर्ज कर स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट का यह कहना कि उसे सुना नहीं गया है नोटिस नहीं दिया गया हैया निर्णय/डिग्री गलत है स्वीकार योग्य नहीं। क्यों कि तहत न्यायालय ने उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय/ डिक्री की पालना में नामान्तकरण दर्ज किया गया है। निणर्य/डिक्री पालना करना तहसीलदार दायित्व था, जिसमें उसने कोई त्रुटि नहीं की है। न्यायालय हाजा को अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण की वैधता की जॉच करनी है ना कि दावा निर्णय/डिक्री की। तहसीलदार ने निर्णय डिक्री की अक्षरशः पालना की है। नामान्तकरण कार्यवाही एक फिसकल प्रोसिंडिग है, नामान्तकरण में किसी के हक हकूक तैय नहीं होते हैं। अगर अपीलान्ट को निर्णय डिक्री पर कोई आपत्ति है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये । तहसीलदार ने उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय/ डिक्री की पालना में विवादित नामान्तकरण दर्ज किया गया है जिसमें उसने कोई त्रुटि नहीं की है। इस सम्बन्ध में एल.आर.एक्ट की धारा 133(16) स्पष्ट है। अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :—

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.4.2018 को सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(डॉ.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर